अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2014–15/ दिनांक :

निदेशक
राज्य कृषि प्रशिक्षण केन्द्र,
दुर्गापुरा, जयपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि, गुण नियंत्रण/(शष्य)ज.उ.प्र./
पौध व्याधि राज्य जैव उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला,
दुर्गापुरा, जयपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि (विस्तार), खण्ड
बीकानेर/भीलवाड़ा/श्रीगंगानगर/
जयपुर/जालौर/जोधपुर/कोटा/
सीकर/उदयपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि (तिलहन),
भरतपुर।

विषय : निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु केम्प आयोजन बाबत।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 7482–7561 दिनांक 17.01.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 05.10.2017 में प्रमुख शासन सचिव, महोदया द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों की अनुपालना लम्बी अवधि से बकाया होने तथा प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने को गम्भीरता से लिया गया है, साथ ही बकाया अनुच्छेदों की शीघ्र निस्तारण हेतु केम्प का आयोजन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त संबंध में आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बकाया आक्षेपों की प्रति संलग्न कर समस्त आक्षेपों की अनुपालना तथा जिन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट नहीं भिजवाई गयी है, की अनुपालनाऐं अपनी टिप्पणी सहित पन्द्रह दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था किन्तु चाही गयी अनुपालना नहीं भिजवाई गयी है, जो खेद जनक है।

अतः उक्त संबंध में आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों की बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालना तथा जिन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट नहीं भिजवाई गयी है, की अनुपालनाऐं अपनी टिप्पणी सहित दस दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि केम्प आयोजन की कार्यवाही कराई जा सके। आप द्वारा वांछित अनुपालना उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

ह०
(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2014–15/ 7757-79 दिनांक : 01/02/18

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप निदेशक/सहायक निदेशक, कृषि (वि0)/कृषि अनुसंधान अधिकारी ....को प्रेषित कर लेख हैं कि भौतिक सत्यापन के बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालना दस दिवस में संयुक्त निदेशक, कृषि कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
2. ACP को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार, कृषि